न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 103/2012 दायर दिनांकः 13.08.2012

उनवान

1. सन्तोषबाई पत्नि कारूलाल जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. कविताबाई पत्नि रमेशचन्द जाति नायक ब्राहमण नि. हेमडा तह. सुनेल

–वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

समेकित प्रकरण सं. 129/2012 दायर दिनांक 31.10.2012

उनवान

1. सन्तोषबाई पत्नि कारूलाल जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. कविताबाई पत्नि रमेशचन्द जाति नायक ब्राहमण नि. हेमडा तह. सुनेल

–वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. गोपाल पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
3. दिनेश पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
4. श्यामलाल पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
5. नन्दूबाई पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
6. गीताबाई पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
7. कमलाबाई पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
8. गोविन्दसिंह पि. रामनारायण जाति राजपूत नि. हेमडा तहसील सुनेल
9. मोहनसिंह पि. रामनारायण जाति राजपूत नि. हेमडा तहसील सुनेल
10. जतनबाई पि. रामनारायण जाति राजपूत नि. हेमडा तहसील सुनेल
11. गिरिजाकुंवर बेवा गजराजसिंह जाति राजपूत नि. हेमडा तहसील सुनेल
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 183, 209 भू.रा.अधि.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण–

अभिभाषक वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी
अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 – श्री हुकुमचन्द कुमावम
प्रतिवादी सं. 2 – पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 31.10.2025**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हेमडा पटवार क्षेत्र हेमडा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हेमडा तहसील पिडावा जिला झालावाड की जमाबन्दी सम्बत 2066–2069 की नई खतोनी सं. 127 पुरानी 98 के ख.नं. 850 रकबा 19 बिस्वा मे से नमान्मरण कक्ष्या 1668 दिनाक 13.06.2011 से ख.नं. 850 के 13 बिस्वा में से 1/4 हिस्से पर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। यह कि ग्राम हेमडा पटवार क्षेत्र की जमाबंदी सम्वत 2066–2069 के नई खतोनी सख्या 126 पुरानी 100 के ख.नं. 851 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा आराजी में से 5/26 हिस्सा वादीगण के खातेदारी मे दर्ज है। जमाबन्दी साथ मे संलग्न है। दोनो खातो की आराजी को उक्त वाद में विवादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है। यह कि ग्राम हेमडा पटवार क्षेत्र हेमडा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हेमडा तहसील पिडावा के खतोनी सं. नई 127 पुरानी 98 के ख.नं. 850 रकबा 19 बिस्वा मे से नामान्तरण सख्या 1668 दिनांक 13.06.11 से ख.नं. 850 रकबा 13 बिस्वा विकेता सुमनबाई को हिस्सा 1/4 पर केती सन्तोषबाई पत्नि कारूलास जाति पाटीदार कविताबाई पत्नि रमेमचन्द नायक ब्रहामण के खाते दर्ज भूमि एवं खाता सख्या 126 का नया पुरानी 100 के खसरा नम्बर 851 के 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि मे से नामान्तरण तख्या 1668 दिनांक 13.06.11 के ख.नं. विक्रेता सुमनबाई के हिस्से 5/26 पर केती सन्तोषबाई पत्नि कारूलास जाति पाटीदार कविताबाई पत्नि रमेमचन्द नायक ब्रहामण के खाते दर्ज है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 जौर जबरदस्ती से ताकत के बल पर जबरन कब्जा कर लिया है। और प्रतिवादीगण ने उक्त विवादग्रस्त आरा[illegible] को [illegible] के खेत मे मेड में मिला लिया है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 की [illegible]यत अतिक्रमी की है। तथा वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी [illegible] बेदखल कर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 1 राजनेतिक प्रभावशाली व्यक्ति है। जिसमे राजनेतिक व ताकत व लठ के बल पर वादीगण को डरा धमका कर कब्जा कर लिया है। जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण की खरीदशशुदा आराजी है। यह कि घटना दिनाक आज से दिनांक 19.07.12 को जब वादीगण अपने खेत में फसल बोने गये तो प्रतिवादीगण ने फसल बोने से मना किया और लडाई झगडा करने पर आमदा हुऐ तो वाद कारण उत्पन्न हुआ। यह कि वाद श्रीमान के क्षैत्राधिकार में होने से श्रीमान को उक्त वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अवधी मध्य उचित न्याय शुल्क पर पेश है। राजस्थान सरकार को लेण्ड होल्डर होने की वजह से पार्टी बनाया है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री फरमायी जावे कि –

(अ) यह कि ग्राम हेमडा तहसील पिडावा कि खतोनी सख्या नई 127 पुरानी 98 के खसरा नम्बर 850 रकबा 19 बिस्वा में से 13 बिस्वा हिस्से पर 1/4 हिस्सा वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी व खाता सख्या 126 नया पुराना 100 के खसरा नम्बर 851 की रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा मे से 5/26 हिस्सा वादीगण के कब्जे काष्त की आराजी है जिस पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने कि डिक्री वादीगण के पक्ष में फरमायी जावे।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता को बाईसापन बानजदीकी वादीगण को वह भी प्रदान करायी जाये।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब दावामय काउन्टर वाद पेश कर निवेदन किया कि यह कि वाद पत्र का चरण क्रमांक 1 में आराजी खसरा नं. 850 रकबा 13 बिस्वा होना स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार है। यह कि वाद पत्र का चरण कमांक 2 आराजी खसरा नं. 851 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा आराजी होना स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार हैं। यह कि वाद पत्र का चरण क्रमांक 3 जिस प्रकार लिखा गया है। गलत एवं काल्पनिक लिखा गया है। आराजी दर्ज खाता होना राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है। चरण क्रमांक 2 का पूर्ण वर्णन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है। यह कथन गलत हैं कि प्रतिवादी नं 1 ने जोर जबरदस्ती से जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है। यह भी गलत है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादी नं. 1 की हैसियत अतिकमी की है। तथा वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हो, यह भी गलत लिखा है कि प्रतिवादी नं. 1 ने वादीगण को डरा धमका कर कब्जा कर लिया है। मात्र आराजी का खरीदना ही आराजी पर कब्जा प्राप्त करने का आधार नहीं है। समस्त सत्य, विशेष कथन आगे वर्णीत किया है। यह कि चरण कमांक 4 गलत लिखा है। ऐसी कोई तारीख नहीं है। जिस तारीख को वादीगण फसल बोने किसी खेत पर गये हो जब खेत ही मौके पर मौजूद नही हैं, तो फसल बोने का तथ्य ही असत्य है। इस कारण वाद कारण गलत लिखा है, वाद कारण के अभाव में वाद पत्र पोषणीय नहीं हैं। यह कि चरण कमांक 5 कानूनी है। यह कि चरण कमांक 6 में लैण्ड होल्डर को पक्षकार बनाना अनुचित हैं। वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र पोषणीय नहीं हैं। खारीज होने योग्य हैं। खारीज फरमाया जावें। **विशेष कथन** – यह कि विवादग्रस्त आराजी का कभी भी क्षण मात्र को भी सुमनबाई का कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। उन्होंनें आकर कभी भी आराजी कहीं पर स्थित है। देखी नहीं है। हेमड़ा कहां स्थित है। खसरा नं. 850, 851 कहां पर स्थित है। सुमनबाई को जानकारी नहीं है। कब्जा यथावत् पूर्ववत् प्रतिवादी नं. 1 के पास ही, चला आ रहा है। मात्र विक्रय पत्र लिखे गये है। इससे वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। कानूनन भी कब्जा वादीगण प्रतिवादी नं. 1 से कब्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह कि सम्पूर्ण आराजी शामलाती खातेदारी में है। जगन्नाथजी कुल्मी की खातेदारी का कानूनन बंटवारा नहीं हुआ है। पारिवारीक सेटलमेन्ट के आधार उनके वादी का काबिज काश्त है। इस कारण भी वादीगण को यह ज्ञात नहीं हैं कि खसरा नं. 850 खसरा नं. 851 में 1/4 व 5/26 हिस्सा भाग कहाँ पर स्थित है। चर्तुसीमा क्या है। इस कारण वादीगण का कथन कि [illegible] जबरदस्ती ताकत के बल पर जबरन कब्जा किया है। [illegible] है। इन कथनों के आधार पर वादीगण कब्जा [illegible] है। कानून भी सहायता नहीं करता है। प्रथम उन्हें सुमनबाई का [illegible] काबिज काश्त

42

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

साबित करना होगा। उसे कब्जा प्राप्त करना साबित करना होगा। प्रतिवादी नं. 1 का जोर जबरदस्ती, जबरन अतिक्रमण करना, वादीगण को बेदखल करना साबित करना होगा। जिनका पूर्णतया अभाव है। इस कारण वादीगण का वाद पत्र खारीज होने योग्य हैं। **प्रतिदावा– अन्तर्गत् धारा** 88, 63, 91, 92ए, 188, 209 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** में निवेदन किया कि ग्राम हेमड़ा की आराजी खाता सख्या नया 127 पुरानी 98 के खसरा नं. 850 रकबा 13 बिस्था आराजी शामलीती ख़ातेदारी में दर्ज हैं। जिसमें जगन्नाथ पिता नानूराम का 1/4 हिस्सा दर्ज है। यह 1/4 हिस्सा सुमनबाई को बेचान होने के पश्चात भी इस आराजी पर तथा खसरा नं. 851 रकबा 5 विधा 4 बिस्वा भूमि के 4/13 हिस्से पर जगन्नाथ पिता नानूराम का नाम दर्ज होकर 5/26 भाग सुमनबाई की खातेदारी में दर्ज रहा है। इस भाग पर भी पिछले लगभग 30 वर्षों से प्रतिवादी, प्रतिदावा के वादी रामप्रसाद का कब्जा चला आ रहा है। यह कि खरीद 2003 से आज तक विवादित आराजी खसरा नं. 850, 851 के खरीद रकबे पर सुमनबाई पत्नि टीकमचन्द ने कभी भी आकर कब्जा प्राप्त नहीं किया हैं। और ना ही विक्रय पत्र सन्तोषबाई, कविताबाई के पक्ष में दिनांक 31.05.2011 को अथवा इसके पश्चात किसी भी ज्ञात, अज्ञात तिथी को सुमनबाई ने विकित आराजी पर कब्जा सन्तोषबाई, कविताबाई को नहीं दिया है। इस आधार पर भी कब्जा निरन्तर, अखंड़ित रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी का कब्जा मुखलिफाना है। जिसकी मली भांती जानकारी वादीगण एवं जन सामान्य, ग्राम वासीयों को हैं। यह कि आराजी खसरा नं. 850 रकबा 13 बिस्वा का 1/4 हिस्सा एवं आराजी खसरा नं. 151 का 5/26 हिस्सा पर प्रतिवादी का निरन्तर कब्जा होने एवं काबिज कांश्त प्रतिवादी रामप्रसाद का होकर आराजी में फसल की बुआई हो चुकी है। इस कारण आवश्यक हो गया हैं कि प्रतिवादी, वादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के लिए इस्तदुआ करना लाजिम हुआ। यह कि विवादित आराजी पर वादीगण ने खरीद की तिथी से आज तक आकर यह ज्ञान नहीं किया कि उनके द्वारा सुमनबाई से खरीद की गई आराजी कहाँ, कितनी, किस रूप में स्थित है। मात्र विक्रय पत्र का पंजियन होना, नामान्तरण दर्ज होना, अथवा राजस्व रिकार्ड में अंकन होना ही वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 14:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण प्रतिवादी विवादीत आराजी का खातेदार घोषित होने की प्रात्रता रखता है। तथा अपने नाम से खातेदारी की घोषणा करवाने का हकदार है। यह कि वाद कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये दावा से उत्पन्न होकर जानकारी दावा से प्रारम्भ है। यह कि प्रतिवादी का प्रतिवाद प्रथम दृष्टया ठोस हैं। सुविधा का सन्तुलन भी प्रतिवादी के पक्ष में हैं। यह कि विवादित आराजी ग्राम हेमड़ा तहसील पिढ़ावा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। यह कि प्रतिवाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रतिवादी 1 रामप्रसाद माननीय न्यायालय में प्रतिवाद पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है कि वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र को खारीज किया जाकर प्रतिवादी 1 द्वारा पेश प्रतिवाद पत्र को स्वीकार किया जाकर खातेदारी घोषणा की डिकी इस प्रकार की जावें की। ग्राम हेमड़ा खसरा 850 रकबा 13 बिस्वा का 1/4 भाग एवं खसरा 851 का 5/26 भाग का खातेदार प्रतिवादी नं. 1 रामप्रसाद आत्मज जगन्नाथ जाति कुल्मी निवासी हेमड़ा को घोषित किया जावें। तथा वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावें। प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में वादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी भी इस आशय की जारी की जावें की वादीगण प्रतिवादी नं. 1 के कब्जे काश्त में मदाखलत, मजाहमत न तो स्वंय करें ना ही अन्य किसी से करवाये। अन्य न्यायोचित राहत प्रतिवादी को दी जावें।

3. वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं. 1 के काउन्टर वाद का जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि काउन्टर क्लेम का पैरा नं.–1 अस्वीकार है क्योंकि वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड बयनामे से खातेदार सुमनबाई पत्नि सिंह जाति जैन निवासी भवानीमण्डी तहसील पचपहाड से खसरा नम्बर 851 रकबा 5 बीघा 04 बिस्वा मे 5/26 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 850 रकबा 13 बिस्वा में 1/4 हिस्सा भुमि को 1 लाख रूपये में दिनांक 31.05.2011 को खरीद की गई है। खसरा नम्बर 851 रकबा 5 बीघा 04 बिस्वा के 1/2 हिस्से में [illegible] हिस्सा श्रीमती सुमनजैन ने जगन्नाथ पिता श्री नानुराम जाति कुल्मी निवासी हेमडा से दिनांक 27.03.2003 को खरीद की थी और [illegible] खातेदारी में दर्ज हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

चुकी थी। तथा खातेदार जगन्नाथ से ही खसरा नम्बर 850 रकबा 13 बिस्वा का 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा दिनांक 09.04.2003 को श्रीमति सुमनबाई ने खरीद कर बयनामा तस्दीक करवाया था और इनके खातेदारी में दर्ज हो चुकी थी उसके पश्चात सुमनबाई से वादीगण ने सुमनबाई से खसरा संख्या 851 व 850 का सुमनबाई का सम्पूर्ण हिस्सा खरीद कर लिया था और वादीगण के खाते मे नामान्तरण तस्दीक होकर दर्ज हो चुकी है। यह कि काउन्टर क्लेम का पैरा नम्बर 2 अस्वीकार है। क्योंकि वादीगण के द्वारा रजिस्टर्ड बयनामे से आराजी खरीद की है एवम खातेदारी में दर्ज हुई है। इसलिए रजिस्टर्ड बयनामा निरस्त हुऐ बिना प्रतिवादी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह कि काउन्टर क्लेम का पैरा नम्बर 3 अस्वीकार है। क्योंकि वादीगण रजिस्टर्ड बयनामे से खातेदार टीनेन्ट है और वादीगण के हिस्से पर प्रतिवादी किसी भी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यह कि काउन्टर क्लेम का पैरा नम्बर 4 अस्वीकार है। यह कि काउन्टर क्लेम का पैरा नम्बर 5 अस्वीकार है। यह कि काउन्टर क्लेम का पैरा नम्बर 6 अस्वीकार है। यह कि काउन्टर क्लेम का पैरा नम्बर 7 अस्वीकार है क्योंकि वादीगण के द्वारा दिनांक 31.05.2011 को रजिस्टर्ड बयनामे से विवादग्रस्त आराजी को खरीद किया गया है तथा वादीगण के द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा तस्दीक करवाया गया था तब इस आराजी के सम्बन्ध मे कोई विवाद नहीं था। वादीगण ने आराजी रजिस्टर्ड बयनामे से खरीद की है तथा रजिस्टर्ड बयनामा निरस्त करने कां क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। यह कि काउन्टर क्लेम का पैरा नम्बर 8 अस्वीकार है। अतः प्रतिवादी द्वारा पेश काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारीज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

4. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी [illegible] में ग्राम हेमडा के खाता सं. 126, 127 की जमाबंदी सं. 2066–69 प्रदर्श [illegible] 2, खाता सं. 168,

Scanned with OKEN Scanner

169 की जमाबंदी सं. 2074–77 प्रस्तुत की एवं मौखिक साक्ष्य में कविताबाई पत्नि रमेशचन्द, संतोषबाई पत्नि कारूलाल, रामगोपाल पि. रूघनाथ, राधेश्याम पि. जयनारायण के शपथ पत्र / बयान PW 1 To PW 4 कराये।

5. प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम हेमडा के खाता सं. 126, 127 की जमाबंदी सं. 2066–69 प्रदर्श 1 व 2 प्रस्तुत की एवं मौखिक साक्ष्य में रामप्रसाद पि. जगन्नाथ, रमेशचन्द पि. मांगीलाल के शपथ पत्र / बयान DW 1 To DW 2 कराये।

6. मूल प्रकरण सं. 103/2012 उनवान संतोषबाई बनाम रामप्रसाद वगै. अन्तर्गत धारा 183, 209 आर.टी.एक्ट के साथ इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.12.2015 से अन्य प्रकरण सं. 129/2012 उनवान संतोषबाई बनाम रामप्रसाद वगै. अन्तर्गत धारा 53, 209 आर.टी.एक्ट को समेकित किया जाकर दोनो प्रकरणों में वादपत्रो एवं जवाब दावों व काउन्टर वादपत्र के आधार पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरणों के एक साथ निस्तारण हेतु इस न्यायालय द्वारा निम्न समेकित तनकियात कायम की गई –

1. आया वादीगण ग्राम हेमडा की आराजी ख.न. 850 रकबा 19 बिस्वा में से 13 बिस्वा के 1/4 हिस्से का तथा ख.न. 851 रकबा 5 बीघा 4 विस्या के 5/26 हिस्से का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

– जिम्मे वादीगण

2. आया विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं कब्जा मुखलिफाना के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने रहा है और प्रतिवादी का अधिकारी है।

– जिम्मे प्रतिवादी

3. आया प्रतिवादी विवादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

– जिम्मे प्रतिवादी

4. आया प्रतिवादी रजिस्ट्रर्ड बयनामा निरस्त करवाये बिना कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

– जिम्मे वादीगण

5. आया रजिस्ट्रर्ड बयनामा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय का है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

– जिम्मे वादीगण

6. आया वादीगण अपने हिस्से की आराजी का बटवारा करवाकर पृथक खाता दर्ज करवाने की अधिकारिणी है।

– जिम्मे वादीगण

7. आया वादीगण का वाद कब्जे के अभाव में खारीज होने योग्य है।

–जिम्मे प्रतिवादी

7. अभिभाषकगण उभयपक्ष की दोनो प्रकरणों में एकसाथ बहस सुनी गई।

8. अभिभाषकगण उभयपक्ष एवं पेरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सुविधा की दृष्टि से पहले तनकी नं. 6 को निर्णित किया जा रहा है–

<u>तनकी नं. 6–</u> "(6) आया वादीगण अपने हिस्से की आराजी का बटवारा करवाकर पृथक खाता दर्ज करवाने की अधिकारिणी है"। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम हेमडा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 850 रकबा 0.1644 है. वादीगण– संतोषबाई व कविताबाई एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/8–1/8 दर्ज रिकार्ड है और प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से व कब्जे की आराजी का भूमि सुधार कार्य, कृषि ऋण, विकास कार्य एवं सरकारी योजनाओ के लाभ हेतु खाता विभाजन कराकर पृथक से खाता दर्ज कराने का हक व अधिकार है। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 रामप्रसाद के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्ति राजाराम पि. भेरूलाल व कन्हैयालाल पि. भेरूलाल संयुक्त हिस्सा 1/2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा दोनो प्रकरणों में सहखातेदार राजाराम व कन्हैयालाल पिसु. भेरूलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है और सहखातेदारो को पक्षकार बनाये बिना प्रकरण का निष्पक्ष, प्रभावी एवं पारदर्शित निर्णय किया जाना संभव नहीं है। वादीगण द्वारा दौराने वाद दर्ज हुए नये सहखातेदारो को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है जबकि वादीगण को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अधीन पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा पुनः तर्क किया गया कि उक्त सहखातेदार राजस्व रिकार्ड में दिनांक 20.07.2021 एवं 20.05.2022 को ही दर्ज हो चुके थे लेकिन वादीगण द्वारा जानबूझकर तथ्यो को छुपाते हुए इसकी सूचना न्यायालय को नहीं दी गई। अतः वादीगण के अस्वच्छ हाथो से न्यायालय में आने से वादीगण का वाद खारीज योग्य है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वर्ष 2012 के समय सुमनबाई पत्नि टीकमचन्द ने ग्राम हेमडा में पेट्रोल पम्प लगाने हेतु तत्कालीन सहखातेदार जगन्नाथ कुल्मी से हिस्सा 1/4 कय किया था लेकिन बाद में पेट्रोल पम्प की एलओआई निरस्त हो जाने से सुमनबाई ने कभी कब्जा नहीं किया और बिना कब्जा हस्तानान्तरण किये वादग्रस्त भूमि को वादीगण को बेचान कर दिया जबकि वादग्रस्त भूमि जगन्नाथ के वारीसान प्रतिवादी सं. 1 से 8 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अतः वादी का वाद खारीज किया जावे।

उक्त तनकी पर उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश जमाबंदी सं. 2066–69 दिनांक 27.06.2012 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ख.नं. 850 रकबा 0–13 बीघा वादीगण हि. 1/4, प्रतिवादी सं. 1 से 8 के पिता जगन्नाथ कुल्मी हि. 1/4, प्रतिवादी सं. 9 से 11 हि. 3/8 एवं प्रतिवादी सं. 12 हि. 1/8 की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। इसी प्रकार जमाबंदी सं. 2070–73 में भी उक्तानुसार सहखातेदार दर्ज थे लेकिन हाल जमाबंदी सं. 2074–77 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीगण हि. 1/4, प्रतिवादी सं. 1 हि. 1/4 व अन्य दो व्यक्तियो कन्हैयालाल व राजाराम पिस. भेरूलाल हि. 1/2 की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। अतः स्पष्ट है कि सम्वत. 2074 के बाद वादग्रस्त आराजी में जरिये बेचानपत्र प्रतिवादी सं. 9 से 11 हि. 3/8 एवं प्रतिवादी सं. 12 हि. 1/8 के स्थान पर केतागण कन्हैयालाल व राजाराम पिस. [illegible] हि. [illegible] हकत्याग पत्रो से प्रतिवादी 2 से 8 के स्थान पर के[illegible] सहखातेदार दर्ज हुए है। हाल जमाबंदी के अवलो[illegible] नामा.सं. 2650 दिनांक 20.04.2021 एवं नामा.सं. 2816 दिनांक 20.05.2022 से केतागण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कन्हैयालाल व राजाराम पिरा. भेरूलाल हि. 1/2 सहखातेदार दर्ज होने के बावजूद भी वादीगण ना तो इसकी सूचना न्यायालय में दी गई और ना ही इन नये सहखातेदारो को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। विगत 4 वर्षो से वादीगण द्वारा उक्त नये सहखातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया जाना वादीगण की गंभीर लापरवाही के साथ साथ बदनियति को दर्शाता हैं।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 53 आर.टी.एक्ट के अधीन खाता विभाजन के वाद में सभी सहखातेदारो को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना आवश्यक है। सभी सहखातेदारो को पक्षकार बनाये बिना और सुने बिना धारा 53 आर.टी.एक्ट के वाद का निष्पक्ष व प्रभावी निर्णय किया जाना संभव नहीं है। यही प्रावधान धारा 211 आर.टी.एक्ट में दिये गये है। सुविधा के लिए धारा 53(4) एवं धारा 211 आर.टी.एक्ट के प्रावधानो का अवलोकन किया जाना आवश्यक है –

Sec. 53. Division of Holding— (4) To every suit for the division of one or More than one holding all the co-tenants and the landholder shall be made parties.

Sec. 211. Suits etc. by co-sharers— (1) Except as otherwise provided in sub section (3), when there are two or more co-sharers in any right, title or interest, all things required or permitted to be done by the possessor of the same shall be done by them conjointly, unless they have appointed an agent to act On behalf of all of them. (2) Nothing in sub-section (1) shall affect any local usage or special contract by which a co-sharer is entitled to receive separately the whole or his share of the rent payable by a tenant. (3) When one of two or more co-shares is not entitled to sue or proceed alone and the remaining co-sharers refuse to join in a suit or proceeding for money recoverable by them jointly, such co-sharer may sue or proceed separately for his share, joining the remaining co-sharers as parties thereto. (4) Where the tenant of a holding or the illegal transferee of such tenant is also a co-sharer in the proprietary right in such holding, nothing in this section shall require him to be joined as plaintiff or applicant in any

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

suit or application brought or made against him as such tenant or illegal transferee under provision of this Act.

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नं. 6 वादीगण संतोषबाई वगै. के विरूद्धं निर्णित की जाती है। वादीगण सभी सहखातेदारो को पक्षकार बनाते हुए खाता विभाजन का नया वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र होगे।

तनकी नं. 3– "आया प्रतिवादी विवादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है"। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 का था। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जरिये काउन्टर क्लेम ग्राम हेमडा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 850 के हि. 1/4 एवं ख.नं. 851 के हि. 5/26 पर अखण्डित व निरन्तर प्रतिकूल कब्जा काश्त के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 से 8 के हिस्से पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। ग्राम हेमडा की हाल जमाबंदी सं. 2074–77 के अनुसार ख.नं. 850 के हि. 1/4 पर प्रतिवादी सं. 1 सहखातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार ख.नं. 851 के हि. 4/13 और बेचान–बंटवारे के बाद बने नये ख.नं. 1960/851 में 16/41 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अतः स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ख.नं. 850 व 851 के जितने हिस्से पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई थी– उतने हिस्से पर वर्तमान में खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

वर्तमान में यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की पूर्ण पीठ द्वारा जगदीश बनाम सीताराम 211(2) आर.आर.टी 721 एवं आर.आर.डी. 2011 पेंज 508 मामलो में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी सिद्धान्त को माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा गिरधारीसिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार 2025(1) आर.आर.टी 372 में भी दोहराया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त लागू नहीं होने से तनकी नं. 3 प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं. 2 व 7</u>– "(2) आया विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं कब्जा मुखलिफाना के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने रहा है और प्रतिवादी का अधिकारी है" एवं "(7) आया वादीगण का वाद कब्जे के अभाव में खारीज होने योग्य है"। उक्त दोंनो तनकियो को सुविधा की दृष्टि से एक साथ निर्णित किया जा रहा है। उक्त दोनो तनकियों को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर है। वादीगण का कथन है कि उन्होने ने तत्कालीन खातेदार सुमनबाई पत्नि टीकमचन्द जैन से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2011 भूमि क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था और सुमनबाई ने उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता जगन्नाथ पि. नानूराम से प्रतिफल में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2003 एवं दिनांक 09.04.2003 से क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था जबकि प्रतिवादी सं. 1 का कथन है कि वादीगण ने केवल रजिस्ट्री करवाई थी, भौतिक कब्जे का हस्तानान्तरण नहीं हुआ था।

इस परिपेक्ष्य में वादीगण द्वारा पेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2003 व दिनांक 09.04.2003 एवं दिनांक 31.05.2011 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त ख.नं. 851 रकबा 5–04 बीघा में हिस्से 1/2 के सहखातेदार जगन्नाथ पि. नानूराम द्वारा हिस्सा 5/13 उत्तरी कोने से पूर्व पश्चिम की ओर यानि कुल भूमि का 5/26 हिस्सा 30000/– प्रतिफल में दो गवाहान के समक्ष सुमनबाई पत्नि टीकमचन्द जैन को बेचान कर कब्जा सौप दिया था। इसी प्रकार ख.नं. 850 रकबा 0–13 बीघा में सहखातेदार जगन्नाथ ने अपने हिस्से 1/2 का 1/2 यानि कुल भूमि का [illegible] हिस्सा 9000/– प्रतिफल में दो गवाहान के समक्ष सुमनबाई [illegible] को बेचान कर कब्जा सौप दिया था। अतः जाहिर है कि प्रतिवादीगण के पिता जगन्नाथ ने बेचानशुदा भूमि का क्रेता को कब्जा सौप दिया था। क्रेता सुमनबाई जैन ने आगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उक्त क्रयशुदा व कब्जे की भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा वादीगण को किया जाकर मौके पर कब्जा सौप दिया था। अतः जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि का वादीगण ने टाईटल व कब्जा दोनो प्राप्त कर लिए थे। **साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू 1 अपनी जिरह** में स्वीकार किया है कि उसने संतोषबाई के साथ सुमन जैन से कुल 1–03 बीघा भूमि खरीदी थी जिसकी पूर्व दिशा में भवानीमण्डी जाने वाली सडक, पश्चिम दिशा में रामप्रसादजी का खेत, उत्तर व दक्षिण में भी रामप्रसादजी का खेत है जिसके ख.नं. मुझे याद नहीं है। सुमन जैन ने यह जमीन रामप्रसाद पि. जगन्नाथ पाटीदार से खरीदी थी। सुमन जैन यह भूमि पेटोल पम्प लगाने हेतु खरीदी थी। सुमन जैन ने हमे कब्जा नहीं दिया है। उक्त भूमि पर रामप्रसाद का कब्जा है यह मुझे पता नहीं है। **पीडब्ल्यू 2 संतोषबाई ने जिरह में कथन** किया कि सुमन जैन ने उक्त भूमि पेओल पम्प लगाने हेतु खरीदी थी लेकिन बाद में पेटोल पम्प नहीं लगाया और हमें बेचान कर दी। हमें खरीदी के वक्त मौके पर सुमन जैन ने कब्जा नहीं दिया था। बाद में हमने सुमन जैन से कब्जा देने के लिए कहा लेकिन रामप्रसाद ने कब्जा नहीं देने दिया। ख.नं. 850 व 851 पर बगीचा लगा हुआ है जिसे रामप्रसाद पाटीदार हांकता है। **पीडब्ल्यू 3 रामगोपाल ने जिरह** में बयान किये है कि सुमनबाई जैन ने जगन्नाथ से कब्जा लिया या नहीं लेकिन सुमनबाई जैन व उसके पति ने हमें कब्जा सौपा था। मैने यह जमीन पत्नि के नाम सुमन जैन से खरीदी है। खरीद के वक्त मौके पर मेंड पडी हुई थी। मौके पर ख.नं. 850 व 851 की बावण्डी बनाकर 4 साल तक पडत रखी थी। उक्त भूमि पर क्रय की तारीख से आना जाना होता है और इसे देखता रहता हूँ। खरीदशुदा भूमि पर क्रय करने 3 वर्ष बाद हमने बगीचा लगाया है। **पीडब्ल्यू 4 राधेश्याम ने जिरह** में बयान किये कि सुमनबाई जैन ने रजिस्टी करवाकर मौके पर हम दोनो क्रेताओ को कब्जा दे दिया था। रोड से 100–200 फीट छौडकर ख.नं. 850 व 851 के मध्य में कब्जा देते समय खरीदने वाले और बेचने वाले थे। सुमन [illegible]कर मुझे बताया था। संतोषबाई व कबिताबाई का खरीदशुदा भूमि पर 3–4 [illegible] तक कब्जा रहा है। तीन साल तक जमीन लीज पर रही लेकिन 3 साल बाद में रामप्रसाद ने कब्जा ही कर लिया और तार खम्बा लगा लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डीडब्ल्यू 1 रामप्रसाद ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि मेरे पिताजी जगन्नाथ ने सुमनबाई पत्नि टीकमचन्द जैन नि. भवानीमण्डी को यह भूमि बेचान करी थी और सुमनबाई से कबिवताबाई व संतोषबाई ने क्रय की है और इनका रिकार्ड में हिस्सा दर्ज है लेकिन वादीगण की क्रयशुदा भूमि पर मेरा कब्जा है। मैं संतोषबाई व कबिताबाई को कब्जा क्यों दूंगा ज़ब मैने इनको बेची ही नहीं है। मेरे पिता ने सुमनबाई को भी कबजा नहीं दिया था। यह मुझे पता नहीं है कि मैने संतोषबाई व कविताबाई की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। वादीगण अपने हिस्से का बंटवारा करवाना चाहती हूँ लेकिन मै तैयार नहीं हूँ। डीडब्ल्यू 2 रमेशचन्द ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि पेट्रोलपम्प वाली सुमनबाई को जमीन का बैचान किया था लेकिन सुमनबाई ने यह जमीन कविताबाई और संतोषबाई को बेची हो, यह मुझे याद नही है। विवादग्रस्त जमीन पर रामप्रसाद का कब्जा है और रामप्रसाद वादीगण को कब्जा देना नही चाहते है।

उपरोक्त विवेचन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता जगन्नाथ से पेट्रोलपम लगाने के लिए सुमनबाई जैन पत्नि टीकमचन्द जैन द्वारा वर्ष 2003 में क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था लेकिन बाद में पेट्रोलपम्प नही लगने से सुमनबाई ने वर्ष 2011 में वादीगण को बैचान कर दी गयी थी। सुमनबाई जैन का क्रयशुदा भूमि पर कब्जा होना और कुछ वर्षो तक भूमि पडत रहना जाहिर होता है। वादीगण के पतियो द्वारा उक्त भूमि को वादीगण के नाम क्रय किया जाना और क्रयशुदा भूमि वादीगण के स्थान पर इनके पतियो द्वारा मौके पर देखकर क्रय कि गयी थी। प्रतिवादी रामप्रसाद ने उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को देने से सुमनबाई को रोकना जाहिर होता है। क्रय के बाद कितने समय तक मौके पर वादीगण या परिवाजन का भौतिक कब्जा रहा यह स्पष्ट नही है लेकिन वादपत्र में स्वंय वादीगण ने अंकन किया है कि प्रतिवादी 1 ने वादीगण की भूमि पर राजनीति ताकत व लठ्ठ के बल पर दिनांक 19.07.2012 को लडाई झगडा कर कब्जा कर लिया और अतः दिनांक 19.07.2012 के बाद से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी रामप्रसाद पिता जगन्नाथ का कब्जा जाहिर होता है। प्रतिवादी रामप्रसाद के बेदखली हेतु अन्तर्गत धारा 183, 209 आरटी एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण द्वारा दिनांक 13.08.2012 को इस न्यायालय यह वाद पेश कर दिया था। अतः साबित है कि वादग्रस्त आराजी पर विगत 12–13 वर्षो से भले ही प्रतिवादी 1 का कब्जा चला आ रहा है लेकिन यह कब्जा शांतिपूर्ण नही होकर विवादित एवं प्रतिकूल है। यह भी विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन खातेदारी अधिकारो की घोषणा नहीं की जा सकती है। किसी भूमि पर उसके रिकार्डेड खातेदार कृषक का कब्जा नहीं होने मात्र के आधार पर कोई वाद खारीज नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कब्जा अवैध है और जबरन किया गया है तो धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट के अधीन ऐसे अवैध कब्जेधारी को बेदखल करने या स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का प्रावधान है।

प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कब्जारत एक सहखातेदार को अन्य रिकार्डेड सहखातेदारो के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः तनकी नं. 2 व 7 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं. 4 व 5 –</u> प्रकरण में सुविधा की दृष्टि से तनकी नं. 4 व 5 को एकसाथ निर्णित किया जा रहा है– " (4) आया प्रतिवादी रजिस्ट्रर्ड बयनामा निरस्त करवाये बिना कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है" एवं "(5) आया रजिस्ट्रर्ड बयनामा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय का है"। उक्त दोनो तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा पेश रजिस्ट्रर्ड विक्रयपत्र दिनांक 31.10.2011 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण द्वारा एक लाख के प्रतिफल में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त रजिस्ट्रर्ड विक्रयपत्र को प्रारम्भ से अवैध व प्रभावशून्य (**Ab-initio-void**) प्रतित नही होता है और इसलिये इस न्यायालय द्वारा ना तो इसे खारिज किया जा सकता है और ना ही प्रतिवादी 1 द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र मे इसे खारिज कराने का अनुतोष चाहा [illegible] किसी **void or voidable registered sale deed** को खारीज [illegible] का क्षेत्राधिकार विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में [illegible] सिविल [illegible] को है। हस्तगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह जाहिर होता है कि उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्रों को सक्षम न्यायालय द्वारा खारीज किया गया हो। उक्त विकय पत्रो को खारीज करवाये बिना केता/रिकार्डेड सहखातेदार वादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारो की प्रतिवादी घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नं. 4 व 5 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं. 1 –</u> आया वादीगण ग्राम हेमडा की आराजी ख.न. 850 रकबा 19 बिस्वा में से 13 बिस्वा के 1/4 हिस्से का तथा ख.न. 851 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा के 5/26 हिस्से का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा पेश ग्राम हेमडा की हाल जमाबंदी सं. 2074–77 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1960/851 रकबा 1.0370 है. तथा ख.नं. 850 रकबा 0.1644 है वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 व अन्य दो व्यक्तियों की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादीगण का हिस्सा कमशः 5/41–5/41 तथा 1/8–1/8 दर्ज रिकार्ड है। अतः साबित है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण, प्रतिादी सं. 1 व दो अन्य व्यक्तियों की सहखातेदारी में है और संयुक्त खातेदारी की आराजी में विधिवत रूप से खाता विभाजन होने तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक भाग पर एकसमान हक व अधिकार निहित होते है। शामलाती आराजी में किसी एक सहखातेदार का किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा नहीं माना जा सकता है।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विशेष परिस्थिति को छोडकर सहखातेदारी की आराजी में ना तो किसी सहखातेदार को अतिकमी माना जा सकता है और ना ही किसी एक सहखातेदार के पक्ष में अन्य सहखातेदारो के विरूद्ध बेदखली का आदेश जारी किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर विधिक रूप से खाता विभाजन नहीं होने से तनकी नं. 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 850 रकबा 0–19 बीघा व ख.नं. 851 रकबा 5–04 बीघा भूमि के संबंध में वादीगण के दोनो वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 209 आर.टी.एक्ट एवं प्रतिवादी सं. 1 का काउन्टर वाद अन्तर्गत धारा 88, 63, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

10. परिणामस्वरूप ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 850 रकबा 0–19 बीघा व ख.नं. 851 रकबा 5–04 बीघा भूमि कें संबंध में वादीगण के दोनो वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 209 आर.टी.एक्ट एवं प्रतिवादी सं. 1 का काउन्टर वाद अन्तर्गत धारा 88, 63, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किये जाते है। वादीगण सभी सहखातेदारो को पक्षकार बनाते हुए खाता विभाजन का नया वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र होगे। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी--दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 103/2012 दायर दिनांकः 13.08.2012

उनवान

1. सन्तोषबाई पत्नि कारूलाल जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. कविताबाई पत्नि रमेशचन्द जाति नायक ब्राहमण नि. हेमडा तह. सुनेल

--वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

--प्रतिवादीगण

समेकित प्रकरण सं. 129/2012 दायर दिनांक 31.10.2012

उनवान

1. सन्तोषबाई पत्नि कारूलाल जाति पाटीदार नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. कविताबाई पत्नि रमेशचन्द जाति नायक ब्राहमण नि. हेमडा तह. सुनेल

--वादीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
2. गोपाल पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
3. दिनेश पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
4. श्यामलाल पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
5. नन्दूबाई पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
6. गीताबाई पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
7. कमलाबाई पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि. हेमडा तहसील सुनेल
8. गोविन्दसिंह पि. रामनारायण जाति राजपूत नि. हेमडा तहसील सुनेल
9. मोहनसिंह पि. रामनारायण जाति राजपूत नि. हेमडा तहसील सुनेल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

10. जतनबाई पि. रामनारायण जाति राजपूत नि. हेमडा तहसील सुनेल

11. गिरिजाकुंवर बेवा गजराजसिंह जाति राजपूत नि. हेमडा तहसील सुनेल

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 183, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण–

अभिभाषक वादीगण – श्री नीलकमल त्रिवेदी

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 – श्री हुकुमचन्द कुमावम

प्रतिवादी सं. 2 – पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....x..... रूबरू.....x.....

मिनजानित मुदई रूबरू.....x.....ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की आराजी ख. नं. 850 रकबा 0–19 बीघा व ख.नं. 851 रकबा 5–04 बीघा भूमि के संबंध में वादीगण के दोनो वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 209 आर.टी.एक्ट एवं प्रतिवादी सं. 1 का काउन्टर वाद अन्तर्गत धारा 88, 63, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किये जाते है। वादीगण सभी सहखातेदारो को पक्षकार बनाते हुए खाता विभाजन का नया वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र होगे।

31/10/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

निज .....X..... मुबालिक.....X..... बावत् खर्चा इस मुकदमें के सूद वशारह .....X..... .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 31.10.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बावत् इजराय हकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनामा	महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:49:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

Scanned with OKEN Scanner